UPGK010067412026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०- 2, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2923/2026

मोहम्मद साहिल पुत्र नसीम अहमद, उम्र 28 वर्ष, पेशा-ऑटो चालक, पता-अहमद नगर चक्सा हुसैन, निकट नूरी मस्जिद, थाना-गोरखनाथ, जिला-गोरखनाथ।

--------आवेदक/ अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार --------विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या- 449/ 2026
अन्तर्गत धारा-69, 352, 351(3) भा०न्या०सं०
थाना- चिलुआताल, जनपद- गोरखपुर।

दिनांक-10-07-2026

1. आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद साहिल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-449/ 2026 धारा-69, 352, 351(3) भा०न्या०सं० थाना- चिलुआताल जनपद- गोरखपुर के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता रूबी खातून द्वारा इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष न तो लंबित है और न ही निस्तारित हुआ है।

2. वादिनी मुकदमा ने इस आशय की तहरीर थाना पर दिया है कि प्रार्थिनी को बहला-फुसलाकर प्रेमजाल में फंसा कर मो0 साहिल पुत्र नसीम मोहम्मद निवासी अहमद नगर चल्सा हुसैन निकट नूरी मस्जिद थाना-गोरखनाथ गोरखपुर ने शादी का आशा देकर विगत 3 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब शादी से इन्कार कर रहा। उसने शादी को बोला तो भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा। तद्नुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, मात्र गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में संप्रीक्त हो गया है। वादिनी मुकदमा काफी पढ़ी लिखी व काफी चालाक किस्म की महिला है, जो एक हाथ व पैर से विकलांग है। वादिनी मुकदमा अपने पति सत्येंद्र कुमार ओझा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानबेला स्थित ब्लॉक-28, जी०एफ०, रुम नंबर-04 में अपने चार साल के बच्चे लड्डू के साथ रहती है। उक्त वादिनी मुकदमा अभियुक्त से अपने विकलांग होने की बात कह कर वो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त रूम की किश्त वो अपने परिवार के भरण पोषण वो जीविकोपार्जन का हवाला देकर मदद मांगी। प्रार्थी टेम्पू चला कर जी०एन० पब्लिक स्कूल के बच्चों को लाने व ले जाने का कार्य करता है, व बाकी समय में टैम्पू चला कर भी पैसे कमाता है। उसी पैसे से वादिनी मुकदमा के बीमारी व विकलांगता को देखकर उसकी मदद करता था। इसी मदद को वादिनी मुकदमा भरण पोषण व अपने जीवन यापन का अंग बना लिया व पैसे की बराबर मांग व प्राप्त करने लगी। प्रार्थी ने अपने विद्यालय से प्राप्त तनख्वाह को आवास की किश्त भरने व गृहस्थी में भी सहयोग करने लगा। विगत दिनांक-03-06-26 को प्रार्थी की शादी होने तय हुई थी, जिसमें दिनांक-02-06-26 को वादिनी मुकदमा थाना चिलुआताल में गई व शादी रुकवाने कि बात यह कहते हुए कहने लगी कि प्रार्थी से शादी वह करेगी। पुलिस के कहने पर की प्रार्थी गोरखनाथ का रहने वाला है हम कोई मदद नहीं कर सकते तो वह गोरखनाथ पहुंची व शादी रोकने की बात कही तो पुलिस द्वारा कहा गया कि जांच की गई है इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। शादी बीत जाने के बाद वादिनी मुकदमा प्रार्थी के मुहल्लाह में पता कर के घर पर पहुंची और शादी की बात कहने लगी। प्रार्थी की माता द्वारा सारी बातों की जानकारी करने के बाद कहा गया कि तुम्हारी शादी पहले हो चुकी है, तुम्हारा चार साल का बच्चा है तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो मेरे लड़के की शादी हो चुकी है। इस बात पर वादिनी मुकदमा आक्रोशित हो गई व कहने लगी कि मेरे में दो शादी नहीं हो सकती तुम्हारे में चार शादी हो सकती है, प्रार्थी से कहो मुझसे शादी करे व मुझे अपने साथ रखे। वादिनी मुकदमा इस बात पर धमकी देने लगी कि प्रार्थी इस तरह नहीं करता तो मैं प्रार्थी को बलात्कार करने के फर्जी मुकदमा में फंसा कर जेल भेजवा दूंगी व दूसरा विकल्प है कि 5 लाख रुपया मुझे दे दो मैं यह से चली जाऊंगी और कोई भी मुकदमा तुम लोगों पर नहीं करूंगी, व प्रार्थी के इंकार करने पर धमकी देने लगी। वादिनी मुकदमा महिला व विकलांग होने का नाजायज फायदा उठा रही है व अपने गृहस्थी को छिपाते हुए, एक फर्जी मुकदमा लिखवाया है, जिस आधार पर उक्त धारा-69 बी०एन०एस० नहीं बनता है। क्योंकि वादिनी मुकदमा अपने पति व बच्चों के साथ रहती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अन्य धारा-352, 351 किग्री०एन०एस० अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभी तक की विवेचना से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध

नहीं है, जिससे प्रथम दृष्ट्यता अपराध साबित होता हो। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है व भागने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी दिनांक-20-06-26 से जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से सूची से प्रश्नगत मामले की पीड़िता के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये हैं। तद्नुसार उक्त कथनों के आधार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा शादी का झूठा वायदा करके पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाये, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि प्रश्नगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी मुकदमा/पीडिता की ओर से घटना दिनांक व समय अदम तहरीर की बताते हुए थाना- चिलुआताल पर मु०अ०सं०-449/2026 अन्तर्गत धारा-69, 352, 351(3) भा०न्या०सं० दिनांक 19.06.2026 को 17:22 बजे आवेदक/अभियुक्त मो0 साहिल के विरूद्ध इस कथन के साथ पंजीकृत करायी गयी है कि अभियुक्त पीड़िता को बहला-फुसलाकर प्रेमजाल में फंसा कर उसे शादी का आशा देकर विगत 3 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब शादी से इन्कार कर रहा। उसने शादी को बोला तो भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा- 180 व 183 भा०न्या०सु०सं० में अपनी उम्र 29 वर्ष बताते हुए दिनांक 01.01.2023 से लगातार आवेदक/अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध बनने का कथन किया गया है। दौराने विवेचना संबंधित विवेचक द्वारा पीड़िता का हाईस्कूल परीक्षा 2013 का प्रमाण पत्र संकलित किया गया है, जिसमें उसमें जन्मतिथि 12.02.1997 बतायी जाती है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-180 व 183 भा0 न्या0 सु0 सं0 में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये जाने का कथन नहीं किया गया है। संबंधित विवेचक द्वारा प्रश्नगत मामले में वाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया जाता है। आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत मामले में दिनांक 20.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मो0 साहिल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 449/2026 धारा-69, 352, 351(3) भा०न्या०सं० थाना- चिलुआताल जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. वह अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

2. वह विचारण के दौरान न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा।

3. वह आरोप विरचन एवं बयान अन्तर्गत धारा-351 दं0 प्र 0 सं0 के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

आवेदक/अभियुक्त मो0 साहिल द्वारा मु० 50,000/- (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय की संस्तुष्टि के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(शमीम अहमद अंसारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
(रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०-2 गोरखपुर।

Digitally signed by SHAMIM AHMAD ANSARI
Date: 2026.07.10 17:31:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court